

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
65/22	212 RTA	कडैयानोहर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रेमनारायण	बनाम	मुकेश	

वकील :- बृजराज सिंह राजावत एडवोकेट आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

22/11/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/11/22 को पेश हो।

(Handwritten signature)

11/12/23

अभिभाषक आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/12/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

01/12/23

अभिभाषक आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 01/12/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

5/2/23

MRC के अभाव में आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 05/02/23 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22-9-23

पत्रावली पूर्व में दिनांक की गई रिपोर्ट पर आज पेश हुई वकील प्रार्थी उक्त अज्ञात प्रकरण के कारण न्यायालय में पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22-9-23 को पेश हो।



(Handwritten signature)

क्रमांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

5-8-24

पत्रावली में हुई वकील जमी उपा. करी का
 काड स्वीकार किया जा चुका है इस प्रकार से
 खिली प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित
 नहीं है जमी का जर्जल पर जारी लेख पर
 ड्रॉप किया जाय है पत्रावली में लेख आगत के बाद
 काड जारी तत्काल से दाखिल इफरल है